उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या:-क0नि0-2-1315 / ग्यारह-9(10) / 08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(101)-2013
लखनऊ, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 से माल के विक्रय पर विक्रेता व्यवहारी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति संदेय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन के लिये विक्रेता व्यवहारी को, चाहे उधार या नकद या किसी अन्य रीति से, ऐसा भुगतान करते समय किसी कराधेय माल की बिक्री के कारण व्यवहारी द्वारा संदेय कर की संतुष्टि हेतु, माल की कीमत के चार प्रतिशत के बराबर की धनराशि की कटौती करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यह अधिसूचना किसी व्यवहारी और निम्नलिखित के मध्य संव्यवहार से भिन्न मामले पर लागू नहीं होगी:-

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विभाग ; या
(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी ; या
(ग) किसी केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी निगम या उपक्रम ; या
(घ) किसी विश्वविद्यालय या किसी शैक्षिक संस्था या प्रशिक्षण केन्द्र ।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।